

निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मिसल न0 24/ अपील 14(4)/20

तारीख दायरा: 02.07.2020

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार असनावर

(अपीलान्ट)

बनाम

कंवरीबाई पत्नी चन्दन जाति गुर्जर नि0 मेंहदी तहसील असनावर
मोहनलाल पुत्र चन्दन जाति गुर्जर नि0 मेंहदी तहसील असनावर
छगनलाल पुत्र चन्दन जाति गुर्जर नि0 मेंहदी तहसील असनावर (रिस्पो0)

अपील कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्तीकरण बाबत।



उपस्थित:- परोकार सरकार

-: निर्णय :-

दिनांक: 03.09.2020

यह प्रकरण तहसीलदार असनावर द्वारा राज0भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम) 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण के अपील मेंमें निवेदन किया गया है कि ग्राम मेंहदी की आराजी ख0न0 51 रकबा 0.0379 है0 भूमि का आवंटन चन्दन,पृथ्वी आ0 रामा को दिनांक 08.12.1978 को हुआ था जो नामान्तरण संख्या 16 से गैर खातेदारी दर्ज हुई । आवंटित आराजी पर आवंटी या उसके वारिसान द्वारा शर्तों के अनुसार काश्त नहीं की जा रही है न ही आवंटी का मौके पर कब्जा है। आवंटी या वारिसान द्वारा काश्तकारी अधिनियम के उपबन्धों का उलघन किया है। आवंटन की शर्त 14(4) एवं 8 अ की पालना नहीं करने से आवंटन खारिज योग्य है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने से अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

तहसीलदार असनावर द्वारा अपने प्रा0पत्र की पुष्ठी में आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति, भीका रिपोर्ट दिनांक 31.10.2019, नामान्तरण संख्या 16 की प्रमाणित प्रति,जमाबन्दी सं0 2074-77 खसरा गिरदावरी सं0 2070-73,2038-41, प्रस्तुत की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रिस्पो0 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। रिस्पो0 मोहनलाल दिनांक 22.07.20 उपस्थित हुए किन्तु सभी रिस्पो0 बावजूद सूचना दौराने सुनवाई उपस्थित नहीं होने पर उनका पक्ष नहीं सुना जा सका।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। परोकार सरकार द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि चन्दन,पृथ्वी आ0 रामा को ग्राम मेंहन्दी की आराजी ख0न0 51 रकबा 0.0379 है0 भूमि का आवंटन दिनांक 08.12.1978 को हुआ था जो नामान्तरण संख्या 16 से गैर खातेदारी दर्ज हुई । आवंटित आराजी पर आवंटी या उसके वारिसान द्वारा शर्तों के अनुसार काश्त नहीं की जा रही है न ही मौके पर कब्जा है। भूमि भीमसागर बांध के भराव क्षेत्र में आने के कारण मौके पर पानी के नीचे डूबी हुई है। आवंटी या वारिसान द्वारा काश्तकारी अधिनियम के उपबन्धों का उलघन किया है। आवंटन की शर्त 14(4) एवं 8 अ की पालना नहीं करने से आवंटन खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं बहस परोकार सरकार पर भनन किया। पत्रावली राजस्व रेकार्ड से स्पष्ट हे कि आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन के पश्चात प्रथम तीन वर्ष में काश्त नहीं की गई और ना ही वर्तमान में काश्त की जा रही है जो कि अत्यन्त आवश्यक है। भूमि भीमसागर बांध के भराव क्षेत्र में आने के कारण मौके पर पानी के नीचे डूबी हुई है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन की शर्तों की पालना नहीं किये जाने से ही भूमि आज दिनांक तक गैर खातेदारी में ही दर्ज है । उपरोक्तानुसार तहसीलदार असनावर द्वारा प्रस्तुत अपील कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत आवंटन निरस्तीकरण स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार असनावर द्वारा प्रस्तुत अपील 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम मेंहन्दी की आराजी ख0न0 51 रकबा 0.0379 है0 भूमि का आवंटन दिनांक 08.12.1978 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी को किया गया था उक्त आवंटन खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार असनावर को भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लोटाई जावे। पत्रावली फंसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड़